बड़का,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स ललन कुमार, पिता–स्व0 महेन्द्र राय, ग्राम–छित्तरचक, पोस्ट–पहलेजा बड़का, थाना–सोनपुर, जिला–सारण द्वारा पटना सोन–06 बालू घाट, मौजा–मसौढ़ा, थाना+ब्लॉक–पालीगंज, जिला–पटना के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2054/2022, dated 12.01.2023 के आलोक में श्री अमिताभ सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना (जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 07.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, पालीगंज, जिला–पटना में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (410 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining

Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री नीरज कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट पर श्रमिकों के लिए पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पीने का पानी का व्यवस्था निश्चित रूप से किया जायेगा।
2.	श्री शिद्धनाथ सिंह, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक वृक्षारोपण करने का सुझाव दिया गया। पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में प्रस्तावित 410 पेड़ के अलावे ग्रामीणों की मांग पर निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	श्री विनोद कुमार, ग्राम–उदयपुर, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि परियोजना में बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। पर्यावरणी सलाहकार द्वारा बताया गया कि First Aid Box घाट पर रहेगा। साथ–ही–साथ समय–समय पर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे।
4.	श्री लवनेश कुमार, ग्राम–मसौढ़ा, जिला–पटना।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उन्हें घर में काम मिलेगा। इनके द्वारा बालू खनन चालू करने की सहमति दी गयी।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही

ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

ग्रामीण लोग गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना के पूछने पर आम जनता द्वारा हाथ उठाकर परियोजना चालू करने की सहमति दी गयी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

9.6.23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

9/6/23

अपर जिला दण्डाधिकारी
पटना

उपस्थिति सूची

श्री ललन कुमार द्वारा सोन-06 बालू घाट, मौजा-मसौढ़ा, थाना+अंचल-पालीगंज, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान-अचंल कार्यालय, पालीगंज, दिनांक 07.06.2023 समय-03:00 P.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अभिनाश सिन्हा	अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना	[signature] 7/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० प्र० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 07-06-23
3.	संदीप कुमार सिंह	अंचल अधिकारी, पालीगंज	[signature] 07/6/23
4.	आनन्द कुमार	राजस्व अधिकारी, पालीगंज	[signature] 7/6/23
5.	मनोज कुमार	पुलिस निरीक्षक, [illegible] पालीगंज	मनोज कुमार
6.	कुमार गौरव	खनिज विकास पदाधिकारी पटना	[signature] 07.06.23
7.	अमेया कुमारी	खान निरीक्षक, पटना	Ameya Kr 07/06/'23
8.	कृष्णा कुमार शर्मा	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible] पालीगंज	[signature]
11.	U P S	[illegible]	U P S
12.	[illegible]	मसौढ़ा	[signature]

13.	[illegible] शर्मा	मसौढ़ा	[illegible]
14.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[illegible] कुमार
15.	[illegible] कुमार	ग्राम+पोस्ट मसौढ़ा	[signature]
16.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[signature]
17.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	chandankumar
18.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[signature]
19.	राजू कुमार	मसौढ़ा	राजू कुमार
20.	Ashok Kumar	Masaudha	[signature]
21.	Pramod Suraj	Masaudha	[signature]
22.	[illegible]	मसौढ़ा	[signature]
23.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[signature]
24.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[illegible]
25.	मनोज कुमार	मसौढ़ा	मनोज कुमार
26.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
27.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]

28.	[illegible] kumar	मसौढ़ा	[illegible] kumar
29.	नागेन्द्र उपाध्याय	मसौढ़ा	नागेन्द्र उपाध्याय
30.	[illegible]	Udaypur	[illegible]
31.	मन्टू कुमार	महावीरपुर	मन्टू कुमार
32.	[illegible] सिंह	मसौढ़ा	[illegible] सिंह
33.	[illegible] kumar	Mahabali Pur	[illegible] प्रसाद सिंह
34.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[illegible] कुमार
35.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
36.	ओजनी कुमार	मसौढ़ा	ओजनी
37.	जितेन्द्र कुमार	मसौढ़ा	जितेन्द्र
38.	[illegible]	मसौढ़ा	रवीश कुमार
39.	[illegible]	मसौढ़ा	[illegible]
40.	[illegible] कुमार	[illegible]	[illegible]
41.	[illegible] कुमार सिंह	मसौढ़ा	[illegible]
42.	[illegible] कुमार	मसौढ़ा	[illegible] कुमार

43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			